उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, रामनगर (नैनीताल)

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत/अपंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि विक्रय प्रभाग रामनगर नैनीताल के अन्तर्गत आमडण्डा प्रथम डिपो में उपलब्ध चीड़ गोल बी0 की प्रकाष्ठ जिसका विवरण निम्न प्रकार दर्शित है की निविदाए दिनांक 05–12–2018 के अपरान्ह 02:00 बजे तक पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा स्वीकार की जायेगी जो इसी तिथि को अपरान्ह 03:00 बजे उपस्थिति निविदा दाताओं के सम्मुख खोली जायेगी।

कमांक	लौट संख्या	नग	आयतन (घ0मी0)	कमांक	लौट संख्या	नग	आयतन (घ0मी0)
1	250	94	9.9105	7	390	122	7.9074
2	251	64	10.1627	8	391	200	12.9064
3	376	42	1.8814	9	392	69	6.9321
4	377	10	0.8901	10	393	252	11.9975
5	378	21	1.0830	11	394	38	2.8220
6	389	59	2.6566				

इच्छुक निविदादाता निविदा की विक्रय सूची, शर्ते एवं निविदाफार्म किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक आमडण्डा, रामनगर (नैनीताल) तथा कालाढ़ुंगी प्रथम एवं पतरामपुर डिपो से भी प्राप्त कर सकते हैं।

विक्रय सूची वैवसाइट website:uafdc.in पर भी देखी जा सकती है।

दूरभाष नम्बर 05947–251233, मो0न0–9568003217

(जे0पी0भट्ट)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

निविदा में क्रय की जाने वाली लौट/लौटों हेतु शर्तें

01– (क) निविदा के साथ नेक जमानत धनराशि के रूप में क्रय लौट/लौटों (कुल लौटों) के निम्न प्रकार प्रस्तावित मूल्य की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के रामनगर शाखा में देय अधिसूचित बैंक का संलग्न किया जाना अनिवार्य है। नेक जमानत धनराशि कम होने की दशा में निविदा पूर्णत निरस्त/अस्वीकृत कर दी जायेगी तथा क्रेताओं का जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है निम्न प्रकार नेक जमानत जमा करनी अनिवार्य होगी:–

नेक जमानत धनराषि कर	गोल प्रकाष्ठ
सहित	2.36%

(ख) इस प्रभाग के अधीन किसी भी डिपो में निविदादाता की क्रेडिट धनराशि की एडवाइस सम्बन्धित डिपो अधिकारी/डिपो लेखाकार द्वारा जारी की गयी हो, जिसे निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

02. निविदा में उच्चतम निविदादाता द्वारा क्रय की जाने वाली लौटों की शेष देय जमानत धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम की नीलाम शर्त संख्या 05 के अनुसार शेष जमानत धनराशि की सूचना नियमानुसार सम्बन्धित डिपो अधिकारी द्वारा पंजीकृत डाक से (प्रेषित की तिथि को छोड़कर) 7 दिनों के अन्दर क्रय लौटों से सम्बन्धित डिपो में जमा करना आवश्यक होगा ताकि पूरी जमानत जमा होने पर ही निविदाओं के अनुमोदन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी अन्यथा की स्थिति में 2.36%, 2.1% व 2.00% नेक जमानत जब्त कर ली जायेगी तथा सम्बन्धित लौट/लौटों का आगामी नीलाम/निविदा द्वारा विक्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।

03 सफलतम निविदादाता को निविदा में प्रस्तावित लौटों एवं मूल्य की स्वीकृति स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी भुगतान एवं निकासी के सम्बन्ध में वन निगम के विक्रय नियम लागू होगें।

04 निविदा में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नीलाम की सामान्य शर्त सं0–2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 लागू होंगे।

05 प्रत्येक डिपो हेतु निविदाऐं अलग–अलग निर्धारित फार्म में देनी होगी। जो फार्म इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये हों सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

06. प्रत्येक डिपो की निविदा हेतु प्रकाष्ठ पर 2.36 % कर सहित धनराशि व जड़ हेतु 2.1% कर सहित धनराशि तथा 2.00%का बैंक ड्राफ्ट भी अलग–अलग संलग्न करना होगा। दो डिपोओं के लिये एक नेक जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।

07. निविदा के लिफाफे के बाहर ''प्रकाष्ठ, क्रय हेतु निविदा'' अवश्य लिखा जाना चाहिए।

08. निविदा प्राप्त होना :–

(क) निविदाऐं रजिस्टर्ड/कोरियर डाक द्वारा ही प्राप्त की जायेंगी।

(ख) निविदा का खोला जानाः–दिनांक 05–12–2018 को अपरान्ह 2ः00 बजे तक प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम आमडण्डा–रामनगर में प्राप्त निविदाऐं जो उसी दिन अपरान्ह 3ः00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा गठित समिति द्वारा आमडण्डा प्रथम डिपो के नीलाम गृह में खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

09. निविदा के प्रत्येक लौट का प्रस्तावित निविदा मूल्य स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए। एक साथ कई लौटों का विक्रय मूल्य अंकित करने पर लौट स्वतः निरस्त मानी जायेगी।निविदा पत्र में संशोधन व अपलेखन मान्य नहीं होगा।

10. निविदा फार्म में संलग्न ड्राफ्ट का विवरण एवं निविदादाता का पूरा पता दूरभाष/मोबाइल नं0 सहित स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

11. निविदा में निविदादाता की किसी भी लौट की निविदा यदि सम्बन्धित डिपो में सफल नहीं होती है तो निविदादाता सम्बन्धित डिपो लेखाकार से निविदा तिथि से 10 दिन के अन्तर्गत अपने नेक जमानत धनराशि के बैंक ड्राफ्ट मूल में वापस ले सकते हैं। 10 दिन पश्चात् नेक जमानत धनराशि के बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित डिपो लेखाकार द्वारा बैंक में जमा कर दिये जायेंगे।

12. उपरोक्त देयकों की अन्तिम तिथि को राजकीय अवकाश होने की दशा में मूल्य भुगतान एवं निकासी की अवधि तद्नुसार बढ़ जायेगी।

13. क्रेता को स्वयं अथवा उसके अधीकृत प्रतिनिधि को ही प्रकाष्ठ की निकासी दी जायेगी।

14 निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर आर्बीट्रेटर होंगे, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य/स्वीकार होगा।

(जे0पी0भट्ट)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
रामनगर।

विक्रय सूची प्रपत्र–प्रारूप–MAS-1

mRrjk[k.M ou fodkl fuxe jkeuxj foØ; iHkkx]   izdk"B foØ; fMiks vkeM.Mk izFke fMiks

fufonk frfFk 05&12&2018   fufonk LFky vkeM.Mk izFke fMiks

foØ; lwph ¼izdk"B vkfn½   ¼lykV& -------------------------------- ½

क्रम सं0	लौट सं0 / वर्ष	उत्पादन वर्ष	चट्टा सं0 / वर्ष	प्रजाति	श्रेणी	नपत लम्बाई (मी0)	मध्यघेरी / x-सैक्शन(सेमी0)	नग	आयतन (घमी.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	250/18-19	17-18	100,107	चीड गोल	बी0	0.95	121-150	94	9.9105
2	251/18-19	17-18	60,84,	चीड गोल	बी0	0.95	151-up	64	10.1627
			102,105						
3	376/18-19	17-18	152	चीड गोल	बी0	1.25-1.55	61-90	42	1.8814
4	377/18-19	17-18	124	चीड गोल	बी0	0.95	91-120	7	0.5033
						0.95	121-150	2	0.1901
						0.95	151-up	1	0.1967
							;kx	**10**	**0.8901**
5	378/18-19	17-18	153	चीड गोल	बी0	0.95	61-90	9	0.3753
						0.95	91-120	12	0.7077
							;kx	21	1.0830
6	389/18-19	17-18	141	चीड गोल	बी0	0.95	61-90	59	2.6566
7	390/18-19	17-18	134	चीड गोल	बी0	0.95	91-120	122	7.9074
8	391/18-19	17-18	165,167	चीड गोल	बी0	0.95	91-120	200	12.9164
9	392/18-19	17-18	132,164	चीड गोल	बी0	0.95	121-150	69	6.8321
10	393/18-19	17-18	137,169	चीड गोल	बी0	1.25-1.85	61-90	252	11.9975
11	394/18-19	17-18	135	चीड गोल	बी0	1.25	91-120	36	2.5638
						1.25	121-150	2	0.2582
							;kx	**38**	**2.8220**

नोट – क्रम संख्या 01 से क्रम संख्या 05 तक विकास कार्य की लौटे।

ह0....................................   ह0..............................

प्लाट प्रभारी(प्लाट.....................)   डिपो अधिकारी(मुहर)